न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 24/2016

1– श्रीमति सोहनी पत्नि श्री हरनाथ
2– श्री रामदेव पुत्र श्री राधाकिशन
3– प्रेम पुत्री श्री राधाकिशन
4– श्री रामलाल पुत्र श्री राधाकिशन
समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

.....*प्रार्थीगण*

बनाम

1– श्री विजयलाल पुत्र श्री तेजाराम, जाति जाट, निवासी लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

.....**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– 1– श्री मदनलाल गुर्जर, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2– श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–31.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 08.02.2013 ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा में आयोजित प्रशासन गांवों के संग शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के आदेश क्रमांक/उखन/राजस्व/12/107 दिनांक 22.02.2013 के द्वारा श्री विजयलाल पुत्र श्री तेजाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम लोहरवाड़ा स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 4543 रकबा 0.96 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन/नियमन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए आवंटन/नियमन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अभिभाषक

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

उपस्थित हुए। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब नोटिस पेश नहीं कर लिखित बहस पेश की।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन/नियमन न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खाता संख्या 759/693 कुल रकबा 10.43 हैक्टर भूमि के सामने स्थित है एवं उक्त आराजी के पड़ौस में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 4548/6328, 4543/5833 व 4542/5870 के लगते हुए पुश्तैनी सहखातेदारी काश्तकारी भूमि है जिसका आज तक बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त सहखातेदारी काश्तकारी आराजी के तथ्य को छिपाते हुए नियम विरूद्ध तरीके से उसका अकेले का कब्जा काश्त होने का शपथ पत्र देकर विवादित आराजी का आवंटन/नियमन अपने नाम कराया गया है, जबकि आवंटनशुदा आराजी पर समस्त खातेदारान का पुश्तैनी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है जो राजस्व रेकॉर्ड से सुस्पष्ट है। उनका आगे कथन है कि आवंटन/नियमन से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना का प्रकाशन नहीं किया गया जबकि आवंटन/नियमन के लिये नियमानुसार उद्घोषणा जारी कर आम सूचना प्रकाशित किया जाना आबश्यक था। केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा आवंटन एवं नियमन के पात्र प्रार्थीगण की अनदेखी करते हुए नियम विरूद्ध व गलत तरीके से आवंटन/नियमन कर दिया गया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं ना ही कभी काश्त की गई। प्रार्थीगण आज भी मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। आक्षेपीय आवंटन/नियमन आदेश कोरम द्वारा पारित ना होकर केवल उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा कब्जे सम्बन्धी कोई दस्तावेज या मौके का निरीक्षण नहीं किया गया। वरवक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कितनी भूमि थी, वह भूमिहीन काश्तकार था या नहीं तथा जीविकोपार्जन कृषि पर निर्भर था या नहीं, सभी नियमों की अनदेखी कर उद्घोषणा जारी किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 की कभी भी कोई काश्त नहीं रही है एवं भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त काश्त की भूमि है जो राजस्व रेकॉर्ड से स्पष्ट है किन्तु प्रार्थीगण के नाम कोई आवंटन/नियमन नहीं किया गया व ना ही इस बाबत कोई सूचना दी गई। प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज काश्त होने व भूमिहीन होने से प्रथमतया आवंटन/नियमन कराने के अधिकारी थे किन्तु नियमों व शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन/नियमन किया गया। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किया गया विवादित आराजी का आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 22.02.2013 निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार है एवं विवादित आराजी उसे प्रशासन गांवों के संग अभियान में नियमानुसार नियमन की गई है। उक्त आराजी को वह काफी मेहनत कर उपजाऊ व काश्त योग्य बनाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 का प्रश्नगत आराजी पर काफी पुराना कब्जा काश्त होने, शपथ पत्र व खसरा गिरदावरियों के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा जांच करने के बाद उनके पक्ष में नियमन आदेश पारित किया गया है। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

पक्ष में प्रशासन गांवों के संग शिविर 2013 में दिनांक 22.02.2013 को विधिवत तरीके से विवादित आराजी के नियमन आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में नियमनशुदा आराजी की अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी दर्ज हो चुकी है। उन्होने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी नियमन आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने विधिक प्रावधानों के बाहर जाकर राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत गलत रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि नियमन आदेश को कानूनी रूप से नियम 14(4) के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। नियमन आदेश को राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 20(2) के तहत ही चुनौती दी जा सकती है। प्रार्थीगण ने कानूनी व विधिक स्थिति से बाहर जाकर गलत रूप से प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के अन्तर्गत पेश किया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र भारी जुर्माना लगाते हुए खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर विवादित भूमि का नियमन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013 के तहत आयोजित शिविर में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में भूमि का नियमन किया गया है। विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में वर्ष 2013 में नियमन किया गया था एवं नियमन आदेश की पालना में राजस्व रेकॉर्ड में नियमनशुदा आराजी की अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जा चुकी है। लगभग 11 वर्ष की समयावधि के पश्चात अप्रार्थी के पक्ष में किए गए विवादित भूमि के नियमन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। हालांकि नियम 20(2) के अन्तर्गत नियमन निरस्त करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु केवल मात्र ऐसे आवंटन/नियमन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल, कपटपूर्वक तथा तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो अथवा आवंटन/नियमन शर्तों का उल्लंघन किया हो। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आवंटी/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि का नियमन छल कपटपूर्वक व तथ्यों को छिपाकर करवाया गया है। प्रार्थीगण विवादित आराजी पर अपना पुश्तैनी कब्जा होने के तथ्य को भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाये हैं। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित आराजी का नियमन किया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा नियमन आदेश को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत चुनौती दी गई है। नियमन आदेश को नियम 14(4) के तहत चुनौती दिया जाना विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है जबकि विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी को नियम 20(2) के अन्तर्गत चुनौती दी जानी चाहिये थी।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 श्री विजयलाल पुत्र श्री तेजाराम के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का नियमन यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर